रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 256] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 31, 1975 पौष 10, 1897

No. 256] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 31, 1975 PAUSA 10, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY Date [illegible]

## MINISTRY OF COMMERCE

### PUBLIC NOTICES

EXPORT TRADE CONTROL

*New Delhi, the 31st December 1975*

SUBJECT—*Scheme for exports of cotton yarn, mill made cotton fabrics and products manufactured out of mill made/handloom fabrics including made-ups and garments under O.G.L. 3 to Austria during the quota year 1st January, 1976 to 31st December,* 1976.

**No. 55-ETC(PN)/75.**—The Scheme relates to exports of cotton yarn, mill made cotton fabrics and products manufactured out of millmade/handloom fabrics including made-ups and garments under O G I 3 to Austria during the quota year 1st January, 1976 to 31st December, 1976.

2. For the purpose of quota allotment, the shipment period will be divided into two six-monthly periods namely 1st January, 1976 to 30th June 1976 and 1st July, 1976 to 31st December, 1976

3 Exports will be allowed from any port in India

4 Quota for shipment will be allotted against individual shipments by the Cotton Textiles Export Promotion Council, Bombay, or its authorised up-country representatives at Delhi, Ahmedabad, Madras, Calcutta and Cochin on such conditions as prescribed by the EEC/Austria/Sweden Textiles Licensing Advisory Committee

5. For the purpose of exports and issuance of quota endorsement, Cotton Textiles have been divided in the following three categories:

Category I Grey Goods.

Category II Terry Towels and Towelling, and

Category III Cotton yarn, Finished Fabrics, Misc.

6. As soon as the ceiling in any of the categories mentioned above is pierced, further exports thereunder will be stopped forthwith.

7. In respect of cotton yarn, the announcement made by the Government from time to time shall also apply.

8. Such imports into Austria will be admitted by the competent authority only on presentation of the Green Certificate issued by the Cotton Textiles Export Promotion Council, Bombay, New Delhi, Calcutta, Madras, Cochin and Ahmedabad, on the basis of which the Austrian Authorities would issue an import licence.

9. Quotas shall not be transferable without the express consent in writing of the EEC/Austria/Sweden Textiles Licensing Advisory Committee.

10. A non-refundable charge will be levied by the Cotton Textiles Export Promotion Council for issue of quotas as under:

(a) Grey and processed piecegoods—Rs. 3 per 1000 sq. yards subject to a minimum of Rs. 3.

(b) Garments, made-ups and hosiery—Rs. 10 per 1000 units, subject to a minimum of Rs. 10.

(c) Yarn and Sewing Thread—Rs. 2 per 100 kgs. subject to a minimum of Rs. 2.

11. All shippers shall have to submit a monthly report to the Cotton Textiles Export Promotion Council, giving details of the shipment against individual quotas issued to them. These statements should reach the Council by the 10th of the subsequent month.

12. The EEC/Austria/Sweden Textiles Licensing Advisory Committee shall (a) supervise the entire scheme; (b) keep a watch over the performance from time to time; (c) interpret and give decisions on various matters arising out of the operation of the scheme; and (d) make such changes in the scheme as the Committee deems fit from time to time. The Licensing Committee shall be empowered to frame rules and regulations from time to time, *inter-alia* providing for the conditions to be complied with by an applicant before he would be entitled to quotas. It shall also have the right to withhold or cancel quotas and reject applications for quotas without assigning any reasons.

13. The address of the Cotton Textiles Export Promotion Council, Bombay, is as follows:—

"Engineering Centre", 5th Floor, 9, Mathew Road, Bombay 400 004.

## वाणिज्य मंत्रालय

### सार्वजनिक सूचनाएं

### निर्यात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 1975

**विषय.**—कोटा वर्ष 1 जनवरी, 1976 से 31 दिसम्बर, 1976 तक के दौरान आस्ट्रिया को खुले सामान्य लाइसेंस संख्या : 3 के अन्तर्गत सूती धागों, मिल निर्मित सूती वस्त्रों एवं तैयार वस्त्रों एवं बने बनाए वस्त्रों सहित मिल निर्मित/हथकर्घा कपड़ों से विनिर्मित उत्पादों के निर्यात से संबंधित योजना ।

**संख्या 55 आई० टी० सी० (पी० एन०)/75.**—यह योजना कोटा वर्ष 1 जनवरी, 1976 से 31 दिसम्बर, 1976 तक के दौरान आस्ट्रिया को खुले सामान्य लाइसेंस संख्या : 3 के अन्तर्गत सूती धागों, मिल निर्मित सूती वस्त्रों एवं तैयार वस्त्रों एवं बने बनाए वस्त्रों सहित मिल निर्मित/हथकर्घा कपड़ों से विनिर्मित उत्पादों के निर्यात से संबंधित है ।

2. कोटा नियतन करने के प्रयोजनार्थ, पोतलदान अवधि दो अवधियों मे विभाजित की जाएगी अर्थात् 1 जनवरी, 1976 से 30 जून, 1976 तक और 1 जलाई, 1976 से 31 दिसम्बर, 1976 तक ।

3 निर्यात की स्वीकृति भारत के किसी भी पत्तन से दी जाएगी ।

4 पोत लदान के लिए कोटा अलग अलग पोतलदानों के मदें, सूतीवस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, बम्बई या इसके दिल्ली, अहमदाबाद, मद्रास, कलकत्ता और कोचीन पर प्राधिकृत अन्तर्देशीय प्रतिनिधियों द्वारा ईईसी/आस्ट्रिया स्वीडन वस्त्र लाइसेंस सलाहकार समिति द्वारा यथा निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार जारी किया जाएगा ।

5. निर्यात और कोटा पृष्ठांकन जारी करने के प्रयोजनार्थ सूती वस्त्रों को निम्नलिखित तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है :—

श्रेणी–1 भूरा माल

श्रेणी–2 टेरि तौलिए और तौलिए के लिए और

श्रेणी–3 सूती धागा, परिष्कृत वस्त्र, विविध

6 जैसे ही उपर्युक्त किसी भी श्रेणी की कोई भी मद उच्चतम सीमा को पार कर जाती है तो इसके अंतर्गत आगामी निर्यात रोक लिए जाएंगे ।

7. सूती धागे के सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय समय पर की गई घोषणा भी लागू होगी ।

8. आस्ट्रिया में समर्थ प्राधिकारियों द्वारा ऐसे आयातों को स्वीकृति बम्बई, नई दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, कोचीन एवं अहमदाबाद की सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा जारी किए गए केवल उस ग्रीन सर्टीफिकेट को प्रस्तुत करने पर दी जाएगी जिसके आधार पर आस्ट्रिया के प्राधिकारी आयात लाइसेंस जारी करेंगे ।

9 कोटे ईईसी/आस्ट्रिया/स्वीडन वस्त्र लाइसेंस सलाहकार समिति की लिखित रूप में स्पष्ट सहमति के बिना हस्तांतरित नहीं किए जायेंगे ।

10. कोटा जारी करने के लिए सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा एक अदेय शुल्क वसूल किया जाएगा जो इस प्रकार है :—

| | |
|---|---|
| (क) भूरे एवं संसाधित टुकड़े के माल | 3 रुपए प्रति 1000 वर्ग गज, कम से कम 3 रुपए के अधीन । |
| (ख) पोशाक, तैयार माल एवं होजरी | 10 रुपए प्रति 1000 यूनिट्स, कम से कम 10 रुपए के अधीन । |
| (ग) सूत एवं सीवन धागे | 2 रुपए प्रति 100 कि० ग्रा०, कम से कम 2 रुपए के अधीन । |

11. सभी पोतवणिकों को जारी किए गए कोटों के मदें किए गए पोतलदानों के ब्यौरे देते हुए सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद को एक मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी पड़ेगी । ये रिपोर्ट आने वाले महीने की 10 तारीख तक परिषद को पहुंच जानी चाहिए ।

12. ईईसी/आस्ट्रिया/स्वीडन वस्त्र लाइसेंस सलाहकार समिति के ये कार्य होंगे (क) सम्पूर्ण योजना का पर्यवेक्षण करना, (ख) समय समय पर कार्यपालन की निगरानी करना (ग) योजना के परिचालन से संबंधित उत्पन्न हुए विभिन्न मामलों का विवेचन करना और निर्णय देना और (घ) योजना में ऐसे परिवर्तन करना जिन्हें समिति समय समय पर उपयुक्त समझे। कोटा प्राप्त करने के लिए पात्र बनने से पूर्व की शर्तों का आवेदक से पालन कराने के लिए अन्य शर्तों के साथ साथ परिषद समय समय पर नियम एवं विनियम बनाने के लिए भी प्राधिकृत होगी। उसे बिना कारण बताए कोटे को रोकने या रद्द करने या कोटे के लिए आवेदनपत्रों को अस्वीकार करने का भी अधिकार होगा।

13. सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन का पता निम्नलिखित होगा :—

"इंजीनियरिंग सैन्टर"

पांचवीं मंजिल, 9, मैथ्यू रोड,

बम्बई—400004।

SUBJECT—*Scheme for exports of mill made cotton textiles including made-ups, ready-made garments and knitted goods under O.G.L. 3 to West Germany, Italy, France, Benelux Countries, Denmark and Irish Republic during the quota year from 1st January 1976 to 31st December 1976.*

**No. 56 ETC(PN)/75.**—1. The scheme relates to exports of mill made cotton textiles including made-ups, readymade garments and knitted goods to West Germany, Itally, France, Benelux Countries, Denmark and Irish Republic during the quota year from 1st January, 1976 to 31st December, 1976.

2. For the purpose of quota allotment, the shipment period will be divided into two six-monthly periods namely 1st January, 1976 to 30th June, 1976 and 1st July, 1976 to 31st December, 1976.

3. Exports will be allowed from any port in India.

4. Quota for shipment will be allotted against individual shipments by the Cotton Textiles Export Promotion Council, Bombay, or its authorised up-country representatives at Delhi, Ahmedabad, Madras, Calcutta and Cochin on such conditions as prescribed by the EEC/Austria/Sweden Textiles Licensing Advisory Committee.

5 For the purpose of exports and issuance of quotas, cotton textiles have been divided into two groups as under:

(I) Exports of varieties which are subject to quantitative restrictions *viz.*

55.09 Other woven cotton fabrics, and bleached containing 85 per cent or more by weight of cotton excluding gauze and terry towellings and similar terry fabrics of cotton.

55.09 Other cotton fabrics other than grey or bleached containing 85 per cent or more by weight of cotton excluding cotton gauze and terry towellings and similar terry fabrics of cotton.

61.02 87 Women's, Girls and Infants' Shirts and Blouses of cotton

62.02

62.02.11 Red linen of cotton.

62.02 41 Table linen of cotton made with yarns of different colours.

62.02.43 Table linen of cotton printed

62.02.47 Other table linen of cotton.

62.02.71 Toilet linen and kitchen linen of cotton of terry towellings and similar terry fabrics.

62.02.73 Other toilet linen and kitchen linen of cotton.

In respect of France Item Ex 60.04 T-Shirts knitted of all fibres are also under quantitative restrictions.

In respect of Irish Republic:

55.05 Cotton Yarn, not put by for retail sale

55.06 Cotton Yarn put by for retail sale

55.07 Cotton gauze.

are also under quota restraints

(II) Exports of varieties not covered under (I) above and which are not subject to quantitative restrictions.

6. As soon as the ceiling in any of the items cover d under (I) above is pierced, further allotment will be stopped forthwith. According to the Agreement, exports of cotton textiles covered under (I) above into the above countries will be admitted by the Competent Authorities only on presentation of the Green Certificate issued by The Cotton Textiles Export Promotion Council, Bombay, or its authorised up-country representatives on the basis of which Authorities in the country of import would issue the Import Licence.

7. Quotas shall not be transferable without the express consent in writing of the EEC/Austria/Sweden Textiles Licensing Advisory Committee.

8. A non-refundable charge will be levied by the Cotton Textiles Export Promotion Council for issue of quotas as under:

(a) Grey and processed piecegoods Rs 3 per 1000 sq. yds subject to a minimum of Rs. 3.

(b) Garments, made-ups and hosiery Rs. 10 per 1000 units, subject to a minimum of Rs. 10.

(c) Yarn and Sewing Tread—Rs. 2 per 100 kgs. subject to a minimum of Rs. 2.

9. All shippers shall have to submit a monthly report to the Cotton Textiles Export Promotion Council, giving details of the shipment against individual quotas issued to them. These statements should reach the Council by the 10th of the subsequent month.

10. The EEC/Austria/Sweden Textiles Licensing Advisory Committee shall (a) supervise the entire scheme (b) keep a watch over the performance from time to time; (c) interpret and give decisions on various matters arising out of the operation of the scheme; and (d) make such changes in the Scheme as the Committee deems fit from time to time. The Licensing Committee shall be empowered to frame rules and regulations from time to time, *inter-alia* providing for the conditions to be complied with by an applicant before he would be entitled to quotas. It shall also have the right to with-hold or cancel quotas and reject applications for quotas without assigning any reasons.

11. The address of the Cotton Textiles Export Promotion Council, Bombay is as follows:—

"Engineering Centre", 5th Floor, 9, Mathew Road, Bombay, 400 004.

विषय.—कोटा वर्ष 1 जनवरी, 1976 से 31 दिसम्बर, 1976 के दौरान खुले सामान्य लाईसेंस 3 के अन्तर्गत पश्चिमी जर्मनी, इटली, फ्रांस, बेनिलक्स देशों, डेनमार्क और आईरिश गणतंत्र को निर्मित सामान, तैयार पोशाकों और कटे हुए माल सहित मिल निर्मित सूती वस्त्रों के निर्यात के लिए योजना ।

**संख्या 56-टी टी सी (पी एन)/75.**—1. यह योजना कोटा वर्ष 1 जनवरी, 1976 से 31 दिसम्बर, 1976 के दौरान पश्चिमी जर्मनी, इटली, फ्रान्स, बेनिलिक्स देशों, डेन्मार्क और आइरिश गणतंत्र को बने हुए सामान, तैयार पोशाकों और कटे हुए माल सहित मिल निर्मित सूती वस्त्रों के निर्यात से सम्बन्धित है ।

2. कोटा आवंटन के उद्देश्य के लिए पोत लदान अवधि छः छः महीनों की दो अवधियों अर्थात् 1 जनवरी, 1976 से 30 जून, 1976 और 1 जुलाई, 1976 से 31 दिसम्बर, 1976 में विभाजित की जाएगी ।

3. निर्यात भारत के किसी भी पत्तन से अनुमेय होंगे ।

4. पोतलदान के लिए कोटा अलग अलग पोतलदानों के आधार पर सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, बम्बई द्वारा या इसके दिल्ली, अहमदाबाद, मद्रास, कलकत्ता और कोचीन में प्राधिकृत

अन्तर्देशीय प्रतिनिधियों द्वारा ईईसी/आस्ट्रिया/स्वीडन वस्त्र लाइसेंस सलाहकार समिति द्वारा निर्धारित शर्तों पर आवंटित किया जाएगा ।

5 निर्यात करने एवं कोटे जारी करने के प्रयोजनार्थ सूती वस्त्र निम्नलिखित दो वर्गों में विभाजित किए गए है :—

(1) उन कोटियों के निर्यात जो मात्रा प्रतिबन्धों की शर्त के अधीन है अर्थात् :—

55.09 गाज एवं टेरि टावलिंग और इसी प्रकार की सूती टेरि कपड़ों को छोड़कर अन्य बुने हुए सूती कपडे, भूरे और विरंजित जिनमें सूत का वजन 85 प्रतिशत या इससे अधिक हो।

55.09 सूती गाज एवं टेरि टावलिंग और इसी प्रकार के सूती टेरि कपड़ों को छोड़कर अन्य सूती कपड़े जो भूरे अथवा विरंजित से भिन्न हों और जिनमें सूत का वजन 85 प्रतिशत या इससे अधिक हो ।

61.02.87 महिलाओं, लड़कियों और बच्चों की सूती कमीजें और ब्लाउजें ।

62.02.11 सूती बेड लिनन ।

62.02.41 विभिन्न रंगों के धागों से बने हुए सूती टेबल लिनन ।

62.02.43 छपे हुए सूती टेबल लिनन ।

62.02 47 अन्य सूती टेबल लिनन ।

62 02.71 सूती, टेरि टावलिंग और इसी प्रकार के टेरि कपड़े के टायलेट लिनन और किचन लिनन ।

62.02.73 अन्य सूती टायलेट लिनन और किचन लिनन फ्रांस के सम्बन्ध में, मद एक्स० 60.04 टी–शर्टस सभी धागों से बुनी हुई, भी मात्रा प्रतिबन्धों के अधीन है ।

आइरिश गणतंत्र के सम्बन्ध में :

55.05 सूती धागा, फुटकर बिक्री के लिए सुरक्षित नही ।

55.06 सूती धागा, फुटकर बिक्री के लिए सुरक्षित ।

55.07 सूती गाज ।

भी कोटा प्रतिबन्धों के अधीन है ।

(2) उन कोटियों के निर्यात जो उपर्युक्त (1) के अन्तर्गत नहीं आती है और जो मात्रा प्रतिबन्धों की शर्त के अधीन नही है ।

6. उपर्युक्त (1) के अन्तर्गत आने वाली मदों में से कोई मद जैसे ही नियत उच्चतम सीमा तक पहुंच जाएगी उसका आगे आवेदन उसी समय से रोक दिया जाएगा । समझौते के अनुसार, उपर्युक्त (1) के अन्तर्गत आने वाले सूती कपड़ों के उपर्युक्त देशों को निर्यात समर्थ प्राधिकारियों द्वारा केवल तभी स्वीकार किए जाएंगे जबकि सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, बम्बई या इसके अन्तर्देशीय प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा जारी किया गया वह हरित (ग्रीन) प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर दिया गया हो जिसके आधार पर आयात करने वाले देश के प्राधिकारी आयात लाइसेंस जारी करेंगे ।

7. कोटे ईईसी/आस्ट्रिया/स्वीडन वस्त्र लाइसेंस सलाहकार समिति की लिखित रूप में स्पष्ट सहमति के बिना हस्तांतरित नहीं होंगे ।

8. कोटे जारी करने के लिए सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद एक अदेय शुल्क निम्नलिखित अनुसार वसूल करेगी : —

| | |
|---|---|
| (क) धूरे और संसाधित कपड़े के थान । | 3/- रुपये प्रति 1000 वर्गगज, न्यूनतम 3/- रुपये/- |
| (ख) पोशाकों, निर्मित सामान और होजरी । | 10/- रुपये प्रति 1000 इकाइयों पर, न्यूनतम 10/- रुपये/- |
| (ग) सूत और सिलाई धागा । | 2/ रुपये प्रति 100 किलोग्राम, कम से कम 2/–रुपये । |

9. सभी पोत वणिकों को उनको जारी किए गए अलग अलग कोटों के प्रति किए गए पोतलदान के ब्यौरे देते हुए सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद को एक मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी । ये विवरण आगामी महीने की 10 तारीख तक परिषद को पहुंच जाने चाहिए ।

10. ईईसी/आस्ट्रिया/स्वीडन लाइसेंस सलाहकार समिति के ये कार्य होंगे :—(क) सम्पूर्ण योजना का पर्यवेक्षण करना, (ख) समय-समय पर कार्य पालन की निगरानी रखना, (ग) योजना के प्रचालन से सम्बन्धित उत्पन्न हुए विभिन्न मामलों का विवेचन करना और निर्णय देना; और (घ) योजना में ऐसे परिवर्तन करना जिन्हें समय-समय पर समिति उपयुक्त समझे । कोटे प्राप्त करने के लिए पात्र बनने से पहले की शर्तों का आवेदक से पालन कराने के लिए अन्य बातों के साथ साथ परिषद समय समय पर नियम तथा विनियम बनाने के लिए भी प्राधिकृत होगी । उसे बिना कोई कारण बताए ही कोटे को रोकने या रद्द करने या कोटे के लिए आवेदनपत्रों को अस्वीकार करने का भी अधिकार होगा ।

11. सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद का पता निम्नलिखित है :—

"इंजीनियरिंग सेन्टर"
पांचवीं मंजिल,
9, मैथ्यू रोड,
बम्बई–400004 ।

SUBJECT.—*Scheme for exports of Indian cotton textiles under O.G.L. 3 to the U.K. during the quota year from 1st January, 1976 to 31st Demember, 1976.*

**No. 57-ETC(PN)/75.**—The scheme relates to exports of cotton yarn and mill made cotton textiles including readymade garments and made-ups to the U.K. during the quota year from 1st January, 1976 to 31st December, 1976.

2. For the purposes of quota allotment the shipment period will be divided into two six monthly periods namely from 1st January, 1976 to 30th June, 1976 and from 1st July, 1976 to 31st December, 1976.

3. Exports will be allowed from any port in India.

4. Quota for shipment will be allotted against individual shipments by The Cotton Textiles Export Promotion Council, Bombay, or its authorised up-country representatives at Delhi, Ahmedabad, Madras, Calcutta and Cochin on such terms and conditions as prescribed by the U.K. Textiles Licensing Advisory Committee. In case of Women's,

Girls' and Infants Blouses and Shirts of cotton and Men's and Boy's Shirts of cotton will be allotted on the basis of high price realisation with such terms and conditions as decided by the U.K. Textiles Licensing Advisory Committee. Further, in case of cotton yarn, Government's announcement from time to time shall also apply.

5. For the purposes of exports and issuance of quotas, cotton textiles have been divided into two groups as under:

I. Export of varieties which are subject to quantitative restrictions *viz.*

55.09 Other woven cotton fabrics, grey and bleached containing 85 per cent or more by weight of cotton excluding gauze and terry towellings and similar terry fabrics of cotton.

5.09 Other cotton fabrics other than grey or bleached containing 85 per cent or more by weight of cotton excluding cotton gauze and terry towellings and similar terry fabrics of cotton.

61.02.87 Women's, Girls' and Infants Shirts and Blouses of cotton.

62.02.11 Bed linen of cotton.

62.02.41 Table linen of cotton made with yarns of different colours.

62.02.43 Table linen of cotton printed

62.02.47 Other table linen of cotton.

62.02.71 Toilet linen and kitchen linen of cotton of terry towellings and similar terry fabrics.

62.02.73 Other toilet linen and kitchen linen of cotton.

55.08 Terry Towelling and similar terry fabrics of cotton.

61.03.15 Men's and Boy's Shirts of cotton.

61.05.30 Cotton Handkerchiefs.

II. Export of varieties not covered under (I) above and which are not subject to quantitive restrictions.

6. As soon as the ceiling in any of the items covered under (I) above is pierced further allotment thereunder will be stopped forthwith.

7(a). According to the agreement, imports of cotton textiles covered under (1) above into the United Kingdom will be admitted by the competent U.K. Authorities only on presentation of the Green Certificates issued by the Cotton Textiles Export Promotion Council, Bombay and its up-country representatives on the basis of which U.K. Authorities would issue import licence. . .

7(b). In respect of items not covered under quantitative restrictions also a certificate similar to the Green Certificate will be issued by The Cotton Textiles Export Promotion Council to be forwarded to the buyer in U.K. on the basis of which the U.K. Authorities would issue the import licence.

8. Quotas shall not be transferable without the express consent in writing of the U.K. Textiles Licensing Advisory Committee.

9. A non-refundable charge will be levied by the Cotton Textiles Export Promotion Council for issue of quotas as under:

(a) Grey and Processed piecegoods—Rs. 3 per 1000 sq. yrds. subject to a minimum of Rs. 3.

(b) Garments, made-ups and hosiery—Rs. 10 per 1000 units subject to a minimum of Rs. 10.

(c) Yarn and sewing Thread—Rs. 2 per 100 kgs. subject to a minimum of Rs. 2.

10. All shippers shall have to submit a monthly report to the Cotton Textiles Export Promotion Council, giving details of the shipment against quotas issued to them. These statements should reach the Council by the 10th of the subsequent month.

11. The U. K. Textiles Licensing Advisory Committee shall (a) supervise the entire scheme; (b) keep a watch over the peformance from time to time; (c) interpret and give decisions on various matters arising out of the operations of the scheme; and (d) make

such changes in the Scheme as the Committee deems fit from time to time. The Licensing Committee shall be empowered to frame rules and regulations from time to time, *inter-alia* providing for the conditions to be complied with by an applicant before he would be entitled to quotas. It shall also have the right to with-hold or cancel quotas and reject applications for quotas without assigning any reasons.

12. The address of The Cotton Textiles Export Promotion Council, Bombay, is as follows:—

'Engineering Centre', 5th Floor, 9 Mathew Road, Bombay 400 004.

(MISS) R. MAZUMDAR,
Chief Controller of Imports and Exports.

**विषय**.—कोटा वर्ष 1 जनवरी, 1976 से 31 दिसम्बर, 1976 के दौरान यू० के० को खुले सामान्य लाइसेंस संख्या 3 के अन्तर्गत भारतीय सूती वस्त्रों के निर्यात से सम्बन्धित योजना ।

**संख्या 57-ई टी सी (पी एन)/75**.—यह योजना कोटा वर्ष 1 जनवरी, 1976 से 31 दिसम्बर, 1976 तक के दौरान यू० के० को तैयार वस्त्र एवं बने बनाए वस्त्रों सहित सूती वस्त्रों और मिल निर्मित सूती वस्त्रों के निर्यात से सम्बन्धित है ।

2. कोटा नियतन करने के प्रयोजनार्थ पोतलदान अवधि दो अवधियों में विभाजित की जाएगी अर्थात् 1 जनवरी, 1976 से 30 जून, 1976 तक और 1 जुलाई, 1976 से 31 दिसम्बर, 1976 तक ।

3. निर्यात की स्वीकृति भारत के किसी भी पत्तन से दी जाएगी ।

4. पोतलदान के लिए कोटा, अलग अलग पोत लदानों के मद्दे, सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, बम्बई या इसके दिल्ली, अहमदाबाद, मद्रास, कलकत्ता और कोचीन पर अन्तरवर्ती प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा यू० के० सूती वस्त्र लाइसेंस सलाहकार समिति द्वारा यथा निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार नियत किया जाएगा । महिलाओं, लड़कियों और छोटे बच्चों की सूती ब्लाउजों और कमीजों एवं पुरुषों और लड़कों की सूती कमीजों के मामले में कोटे यू० के० वस्त्र लाइसेंस सलाहकार समिति द्वारा यथा निम्नलिखित नियमों तथा शर्तों के अनुसार उच्च मूल्य वसूली के आधार पर नियत किए जाएंगे ।

5. निर्यात करने एवं कोटा जारी करने के प्रयोजनार्थ सूती वस्त्र निम्नलिखित दो वर्गों में विभाजित किए गए हैं :—

(1) उन कोटियों के निर्यात जो मात्रा प्रतिबन्ध के अधीन हैं, अर्थात् :—

55.09 गाज और टेरिटावलिंग एवं इसी प्रकार के सूत के टेरी कपड़ों को छोड़कर अन्य बुने हुए सूती कपड़े, भूरे एवं विरंजित जिनमें 85 प्रतिशत या इससे अधिक सूत शामिल है ।

55.09 गाज और टेरि टावलिंग एवं इसी प्रकार के सूत के टैरि कपड़ों को छोड़कर अन्य सूती कपड़े जो भूरे अथवा विरंजित से भिन्न हैं जिनमें वजन में 85 प्रतिशत से अधिक सूत है ।

61.02.87 महिलाओं, लड़कियों एवं छोटे बच्चों की सूती कमीजों एवं ब्लाउजें ।

61.02.11 सूती बेड लिनन ।

62.02.41 विभिन्न रंगों के धागों से बने हुए सूती टेबल लिनन ।

62.02.43 छपे हुए टेबल सूती लिनन ।

62.02.47 अन्य सूती टेबल लिनन ।

62.02.71 टैरि टावलिंग और इसी प्रकार के टैरि कपड़ों के सूती टायलेट लिनन एवं किचन लिनन ।

62.02.73 अन्य सूती टायलेट लिनन एवं किचन लिनन ।

55.08 सूती टैरि टावलिंग और इसी प्रकार के टेरि कपड़े ।

61.03.15 पुरुषों एवं लड़कों की सूती कमीजें ।

61.05.30 सूती रूमाल ।

(2) उन कोटियों के निर्यात जो उपर्युक्त (1) के अन्तर्गत नहीं आते हैं और जो मात्रा प्रतिबन्ध के अधीन नही है ।

6. जैसे ही उपर्यूक्त (1) के अन्तर्गत आने वाली कोई मद उच्चतम सीमा को पार कर जाती है तो इसके अन्तर्गत तुरन्त ही आगामी आवंटन रोक लिए जाएंगे ।

7. (क) समझौते के अनुसार, यू० के० के उपर्युक्त (1) में शामिल सूती कपड़ों के आयात केवल सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, बम्बई और इसके अन्तरवर्ती प्रतिनिधियों द्वारा जारी किए गए 'ग्रीन सर्टीफिकेट' को प्रस्तुत करने पर यू० के० के वैध, प्राधिकारियों द्वारा स्वीकार किए जाएंगे जिस के आधार पर यू० के० प्राधिकारी आयात लाइसेंस जारी करेंगे ।

(ख) मात्रा प्रतिबन्ध के अन्तर्गत न आने वाली मदों के सम्बन्ध में भी ग्रीन सर्टीफिकेट की तरह एक सर्टीफिकेट सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, बम्बई द्वारा जारी किया जाएगा जिसे यू० के० के खरीददार को प्रेषित किया जाना है और जिसके आधार पर यू० के० प्राधिकारी आयात लाइसेंस जारी करेंगे ।

8. कोटे यू० के० वस्त्र लाइसेंस सलाहकार समिति की लिखित रूप में स्पष्ट सहमति के बिना हस्तांतरित नहीं किए जाएंगे ।

9. कोटा जारी करने के लिए सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा एक आदेश शुल्क वसूल किया जाएगा जो इस प्रकार है :—

| | |
|---|---|
| (क) धूरे एवं संसाधित टुकड़े के माल | 3 रुपये प्रति 1000 वर्ग गज, कम से कम 3 रुपये के अधीन. । |
| (ख) पोशाक, तैयार सामान एवं होजरी । | 10 रुपये प्रति 1000 यूनिट्स, कम से कम 10 रुपये के अधीन । |
| (ग) सूत एवं लीनन धागे | 2 रुपये प्रति 100 किलोग्राम, कम से कम 2 रुपये के अधीन । |

10. सभी पोतवणिकों को जारी किए गए कोटों के मद्दे किए गए पोतलदानों के ब्यौरे देते हुए सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद को एक मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी पड़ेगी । ये रिपोर्ट आगामी महीने की 10 तारीख तक परिषद को पहुंच जानी चाहिए ।